

24

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-425/2019

सुनील कुमार पुत्र सोमवीर पुत्र चेताराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।  
वादी

बनाम्

1. चेताराम पुत्र जेठाराम
  2. सोमवीर } पि० चेताराम
  3. साहबराम }
  4. रामनिवास }
- जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. कमला पुत्री चेताराम पत्नी अमीचन्द जाति कुम्हार निवासी 9 डीडबल्यू एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
  6. रजनी } पुत्रियां सोमवीर जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी
  7. ज्योति } जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी सुनील कुमार को चकनं० 3 आर डबल्यू डी के खाता सं० 15/13 की कुल .634 है० ख.प्रतिवादीसं० 2 सोमवीर को चकनं० 8 एजी के प०न० 218/358 मु० 4 किलानं० 24,25/.506 है० ग.प्रतिवादीसं० 3 साहबराम को प्राप्त आराजी:-चकनं० 8 एजी के प०न० 217/358 मु० 3 किलानं० 6,15,16,17 व प०न० 218/358 मु० 4 किलानं० 14 मे से 5 बिश्वा पश्चिमी दिशा घ.प्रतिवादीसं० 4 रामनिवास को चकनं० 8 एजी के प०न० 218/358 मु० 4 किलानं० 14 में 15 बिश्वा व किलानं० 15/.253 है० व चकनं० 5 आर डबल्यू डी के खातासं० 10/11 की कुल .634 है० भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 5 आर डबल्यू डी के खाता सं० 10/11 व चकनं० 3 आर डबल्यू डी के खाता सं० 15/13 मे से प्रतिवादीसं० 1 चेताराम का नाम कलमजन व चकनं० 8 एजी के खाता सं० 15/12 में से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20-12-19 को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी